न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)
अपील सं0 : 01 सन 2021
अनवान :–

1. सरबती पुत्री रामनारायण जाति कुम्हार निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. सरंपच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. चुन्नीलाल पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. जेठी पत्नी रामनारायण जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरियेतहसीलदार नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व रोही मौजा चक 5 केएनएन के इन्तकाल संख्या 772 दिनांक 06.07.2020 सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना को निरस्त कर व वसीयत दिनांक 10.04.2009 के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक :– 06/05/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि रोही मौजा चक 5 केएनएन की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 144/136 की कुल 1.5180हैक भूमि अपीलान्ट के पिता रामनारायण पुत्र डुंगरराम जाति कुम्हार के नाम दर्ज थी जो उनकी स्वअर्जित भूमि थी जो सदामत से अपीलान्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनांक 30.09.2009 को हो चुका है अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के पश्चात अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है जिसका प्रार्थना पत्र वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही तहसील नोहर कार्यालय में विचाराधीन थी ।

अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्टस न0 2 ,3 ने सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना व राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर वादग्रस्त भूमि का विरास्तन नामान्तकरण अपीलान्ट के पिता के दो झुठे वारिस बना कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम दर्ज करवा लिया जो कतई गलत है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ,3 को वसीयत के वारे में पूर्ण ज्ञान था समस्त तथ्यों को छुपाकर ग्राम पचायत मलवानी व फेफाना से नामान्तकरण संख्या 772 तस्दीक करवाया गया है जो निरस्त योग्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:01 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 772 दि. 06.07.2020 का ज्ञान कभी भी नही रहा हुआ था न ही इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना गया ना ही किसी प्रकार की कोई सुचना नामान्तकरण दर्ज करने के सम्बध में दी गई थी तहसील नोहर में अपीलान्ट के पिता की वसीयत के अनुसार कार्यवाही विचाराधीन चल रही थी की रिपोर्ट करवाने पटवारी से सम्पर्क

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया तो ज्ञान हुआ की विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया जा चुका है जिसकी नकल प्राप्त कर ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रोही मौजा चक 5 केएनएन के नामान्तकरण संख्या 772 जो दिनांक 06.07.2020 को तस्दीक किया गया है को निरस्त किया जाकर वसीयत दिनांक 10.04.2009 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्वोडेन्टस को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ,3 ,4 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई रेस्पोडेन्टस संख्या 2 जरिये अधिवक्ता मदन मोहन जोशी न्यायालय में उपस्थित आया पत्रवाली जबाब हेतु विचाराधीन चल रही थी अपील में जबाब की आवश्यकता नही होने एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 772 की प्रमाणित प्रति पत्रावली में उपलब्ध होने के कारण रिकार्ड तलब नही किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 केएनएन की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 144/136 की कुल 1.5180हैक भूमि अपीलान्ट के पिता रामनारायण पुत्र डुंगरराम जाति कुम्हार के नाम दर्ज थी जो उनकी स्वअर्जित भूमि थी जो सदामत से अपीलान्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनांक 30.09.2009 को हो चुका है अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के पश्चात अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है जिसका प्रार्थना पत्र वसीयत के अनुसार चक 5 केएनएन व 3 बरानी की भूमियों का नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही तहसील नोहर कार्यालय में विचाराधीन थी ।

अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्टस न0 2 ,3 ने सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना व राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर वादग्रस्त भूमि का विरास्तन नामान्तकरण अपीलान्ट के पिता के दो झुठे वारिस बना कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम दर्ज करवा लिया जो कतई गलत है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ,3 को वसीयत के वारे में पूर्ण ज्ञान था समस्त तथ्यों को छुपाकर ग्राम पचायत मलवानी व फेफाना से नामान्तकरण संख्या 772 तस्दीक करवाया गया है जो निरस्त योग्य है

सत्यमेव जयते

रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रामनारायण पुत्र डुगरराम जाति कुम्हार के द्वारा कोई भी वसीयत नही की गई थी जो भी वसीयत अपीलान्ट व्यक्त कर रहे है निराधार एवं मनगढत है जिसके आधार पर अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है रेस्पोडेन्टस के पिता रामनारायण के देहान्त होने के बाद रामनारायण के वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है जिसे अपीलान्ट निरस्त करवा पाने का अधिकारी नही है अपीलान्ट ने मनगढत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:01 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 144/136 की कुल 1.5180हैक व रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 481/395 की कुल 2.2520हैक्ट भूमि अपीलान्ट के पिता रामनारायण पुत्र डुगराराम के नाम दर्ज थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो से पूर्णत्या साबित है।

रामनारायण पुत्र डुगरराम जाति कुम्हार ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वैच्छा से अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमियो दोनो चकों की वसीयत अपने पोतो रामकुमार व राकेश कुमार पि0 देवीलाल एवं अपनी पुत्री सरबती पुत्री रामनारायण के पक्ष में दिनांक 10.04.2009 को तहरीर करवाई जाकर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई थी जो प्रस्तुत वसीयत से पूर्णत्या साबित है।

रामनारायण पुत्र डुगरराम का देहान्त दिनांक 30.09.2009 को हो चुकी है रामनारायण की वसीयत के अनुसार वसीयम ग्रहिता रामनारायण के नाम उक्त भूमि को वसीयत अनुसार अपने नाम करवा पाने के अधिकारी थे।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी की भूमि का विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही थी किन्तु रामनारयण की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही ज्ञान होने पर विरास्तन नामान्तकरण की कार्यवाही को ड्रोप किया गया था जो जमाबन्दी में दर्ज अंकन से स्पष्ट है।

रोही मौजा चक 5 केएनएन में रामनारायण के नाम दर्ज भूमि का वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार नामान्तकरण संख्या 772 दर्ज/तस्दीक कर दिया गया जो उचित नही था क्योकि रामनारयण की वसीयत के अनुसार सुनवाई तहसील कार्यालय में विचाराधीन चल रही थी जो पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से पूर्णत्या साबित है।

इसप्रकार रामनारायण पुत्र डुगरराम के नाम रोही मोजा चक 5 केएनएन एवं चक 3 बारानी में खातेदारी भूमिया दर्ज थी रामनारायण ने अपने जीवनकाल में अपनी भूमि की वसीयत करवाई गई थी रामनारयण के देहान्त होने के बाद वसीयत ग्रहिता ने वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही थी किन्तु विरास्तन नामान्तकरण अपीलान्ट को बिना सुनवाई दर्ज कर दिया गया जो न्यायोचित नही है।उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट आंशित स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 772 रोही मौजा चक 5 केएनएन स्वीकृत दिनांक 06.07.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि रामनारयण की वसीयत के सम्बध में सुनवाई जो तहसील कार्यालय में विचारधीन चल रही है में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि सम्मन निर्णय पारित किया जावे निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)